निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 88 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लो.नि. व.,नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लो.नि. व.,नैनीताल के माह 11/2016 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी एंव श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23/02/2018 से 01/03/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के अंशका लक पर्यवेक्षण (दिनांक 24/02/2018 से 25/02/2018) में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u>

   वगत लेखापरीक्षा में माह 12/2015 से 10/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र; अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लो.नि. व.,नैनीताल ।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

लाख में

वर्ष	मुख्य लेखाशीर्षक	कुल आवंटन	कुल व्यय
नवसृजित इकाई			
2015-16	5054,3054,2216,2059	1895.34	1895.34
2016-17	5054,3054	1305.84	1305.84
2017-18 upto dec 2017	5054,3054	1089.57	824.28
योग		4290.75	4025.46

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव

प्रमुख अ भयन्ता

मुख्य अ भयन्ता

अधीक्षण अ भयन्ता

अ धशासी अ भयन्ता

सहायक अ भयन्ता

कनिष्ठ अ भयन्ता

अन्य स्टाफ

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लो.नि. व.,नैनीताल को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लो.नि. व.,नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 08/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 20/02/2018 से 24/02/2018 निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखे 09/2017 को बंद कए गए।

4. फार्म 51: माह 01/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम- 2669388.99

भाग द्वितीय- ₹ 2589665.13

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 06/2017 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 3402083.14

(ख) सामग्री क्रय 459000

(ग) नगद परिशोधन 4650739.87

(घ) निक्षेप- ₹ 82498003.24

(ङ) भण्डार- रु 1146111.28

<u>भाग दो ‘अ’</u>

-शून्य-

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 1- ठेकेदार को रु 23.83 लाख का अनु चत लाभ दिया जाएगा।

जनपद नैनीताल के वधान सभा क्षेत्र भीमताल में ददमपुरी-हेड़ाखान- काठगोदाम मोटरमार्ग के कमी. 40 से कमी. 46 तक मोटर मार्ग के पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु शासन द्वारा 498.89 लाख की वत्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी (02/2016)। निर्माण कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी द्वारा समान धनरा श की प्रदान की गई थी (03/2016)।

अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नैनीताल के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क खण्ड द्वारा उक्त निर्माण कार्य का वस्तृत आगणन तैयार करते समय मार्ग की पूर्ण लम्बाई में (कमी. 41 से कमी 46) बिना Soiling test करवाये ही निर्माण कार्य की मद Excavation in soil (Hill side cutting, ordinary rock, hard rock requiring blasting in Hilly area by machines means including cutting and trimming of side) के अन्तर्गत requiring 19317.06 @ 257 (49.65) तथा hard rock not requiring blasting 1947.03 cum @ ₹ 80.80 cum (1,57,320.02) तथा 14897.54 @ 55.30 (8.24) का प्रावधान कया गया था। आगे जांच में पाया गया लेखापरीक्षा ति थ (Feb 2018) तक खण्ड द्वारा प्रश्नगत मद के अन्तर्गत hard rock requsing के सापेक्ष 13521.94 cum @ ₹ 257 मात्रा execute करके 3475138.58 (संबं धत MB के अनुसार) का भुगतान तथा hard rock not requrring blasting के सापेक्ष 1362.92 cum @ ₹ 80.80 execute कर के (संबं धत MB के अनुसार) 110123.94 का भुगतान कया गया / कया जाना था। चू क हाथ के द्वारा या देखकर (निर्माण कार्य के समस्त क.मी. में) यह पता लगाया जाना कठिन है क कौन सी rock ज्यादा Hard है और blasting की आवश्यकता है एवं कौन सी Rock इतना कम hard है क उसे blasting की आवश्यकता नहीं है ठेकेदार को hard rock requarring blasting के सापेक्ष executed quantity (13521.94) को आधार मानते हुए यह स्पष्ट है क 23.83 लाख[1] का अनु चत लाभ दिया गया।

---

[1] Hard rock reqauing blasting की execute की मात्रा 13521.94 cum (@ 257/ cum) को hard rock not requauing blasting मानते हुए एवं उसकी दर (80.80/cum) लेते हुए 13521.94cum @ 257 = 3475138.58 – (13521.94 @ ₹ 80.80 = 1092572.75) = 2382565.83 say 23.83 lakh

प्रकरण इंगत कये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क चूक DPR बनाने के लए वस्तृत सर्वेक्षण करते समय Visually देखकर तय कया जाता है क Hill side cutting हेतु ना मनक्लेचर (साधारण सोइल, आ र्डनरी राक, अत्य धक हार्ड राक कस अनुपात में है अतः सोईल टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती है न ही प्रा वधान होता है। DPR में लगी ड्राइंग से यह स्पष्ट हो जाता है।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क work side पर बिना soiling test करवाये, केवल आंखो से देखकर या हाथ लगाकर यह पता लगाना क कौन सी rock कतनी hard अर्थात कौन सी rock ज्यादा hard है या कौन सी rock कम hard है और कस rock को blasting की आवश्यकता है और कस rock को blasting की आवश्यकता नहीं है।

अतः स्पष्ट है क खण्ड द्वारा ठेकेदार को 23.83 लाख का अनु चत लाभ दिया गया प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2- ठेकेदार से 10.96 की रायल्टी वसूल न करके उसे अनु चत लाभ दिया जाना।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के वधान सभा क्षेत्र नैनीताल मे नैनीताल शहर के महत्वपूर्ण आंतरिक मार्गो का सुधारीकरण के कार्य हेतु शासन द्वारा रु 966.90 लाख की वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकर्ति प्रदान की गयी थी (2/2014) । कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अ भयंता लो.नि. व. हल्द्वानी द्वारा समान धनरा श की प्रदान की गयी थी (2/2014) । निर्माण कार्य हेतु अनुबंध संख्या 01/SE-02/14-15 दिनांक 22/05/2014 धनरा श 9.47 करोड़ गठित कया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की ति थ क्रमशः 22/05/2014 एवं 21/02/2015 थी।

अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नैनीताल के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क खण्ड द्वारा उक्त निर्माण कार्य पर प्रयोग करने हेतु लायी गयी सामग्री (stone, sand ,blast etc) के सापेक्ष वसूल की जाने वाली रायल्टी (₹ 10.96 lakh calculated as per final bills) ₹ 10.96 लाख की कटौती ठेकेदार को बिलों से नहीं काटी गई थी जब क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था।

प्रकरण इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क - कार्य के अनुसार सामग्री की रायल्टी का कुल मूल्य 10955882 बनती है परन्तु प्लांट का कार्य होने के कारण ठेकेदार द्वारा समस्त सामग्री प्लांट से लायी गई है जिसका भुगतान प्लांट में ही कर दिया जाता है। पत्थर आदि की रायल्टी का भुगतान बिल से कटौती कर ली गई है। खरीदी गई सामग्री क्रेशर से ली गई है जिसका प्रमाण पत्र ठेकेदार द्वारा दिया गया है।

जैसा क खण्ड के उत्तर से स्पष्ट है क 10.96 लाख रायल्टी की कटौती की जानी है। आगे, ठेकेदार द्वारा रायल्टी भुगतान के सन्दर्भ में जो क्रेशर का प्रमाण पत्र खण्ड को एवं वर्तमान में खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कया गया है उसकों न तो कोई दिनांक अं कत है और न ही यह स्पष्ट है ठेकेदार कस work site और कस कार्य हेतु सामग्री लाया था। इसके अतिरिक्त प्रमाण-पत्र पर कोई Reference Number भी अं कत नहीं है।

अतः ठेकेदार से 10.96 लाख की रायल्टी की कटौती न कये जाने सम्बन्धी प्रकरण प्रकाश में /उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो के निम्न ल खत व र्णत प्रस्तर अनिस्तारित थे।

प्रतिवदेन संख्या	भाग-2 अ	भाग-2 ब
229/88-89	-	2
223/89-90	1	4,5,6
252/90-91	1 (क)(ख)	6,7,8,9,10,11,12,13
352/92-93	1,2	5,6,8
78/93-94	1,2,3	4,5
27/94-95	1	-
14/96-97	1	2,3
128/99-2000	1	2,3
12/2001-02	1,2	-
27/2002-03	1,2,3,4	-
33/03-04	2	-
87/04-05	1,3,4	3
77/05-06	1,3,4	4,5
67/06-07	1	2,3,4
14/09-10	3	3
87/10-11	-	1,2,3,4
44/12-13	1,2	1
53/14-15	-	1,2,3,4,5
95/15-16	-	1,2,3
56/16-17	-	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खण्ड द्वारा बताया गया क पुनः शीघ्र ही प्रे षत कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लो.नि. व.,नैनीताल तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये

(i) MB's No: 1225/L, 1145/L , वगत लेखापरीक्षाओ से संबन्धित अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या, खण्ड के परिसम्पतियों का ववरण एवं दायित्वों का ववरण, वगत नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी की अनुपालन आख्या, चोरी हानि गबन का प्रकरण न्यायालयवाद से संबं धत पत्रावली।

2. सतत् अनिय मतताएः शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0 नाम पदनाम

(i) श्री सुनील कुमार गर्ग अ धशासी अ भयंता 28-04-2015 05-12-2016 तक।

(ii) श्री एम.पी.एस. कालाकोटी, अ धशासी अ भयन्ता 05-12-2016 से 23-12-2016 तक।

(iii) श्री चन्दन संह नेगी , अ धशासी अ भयन्ता 23-12-2016 से वर्तमान तक

(iv) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री चन्द्र दर्शन पांडे अगस्त 2015 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लो.नि. व.,नैनीताल को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

व. लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक क्षेत्र-2